

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघुहरताकर जज
मु. 166/2023

हमने वकूलाय उभय पक्षकारान की बहस बहुपक्षीय सुनी। बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि नन्ही देवी पत्नी कालूराम जाति अहीर निवासी बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना के द्वारा भग्गूराम पुत्र भोलूराम जाति अहीर निवासी बुर्जा की ढाणी से संपूर्ण भूमि में से 1/9 हिस्सा को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख से दिनांक 19.12.2023 को कय किया जाना प्रमाणित होता है। अतः वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी को न्यायाहित में स्वीकार किए जाने योग्य पाए जाने पर स्वीकार किया जाकर नन्ही देवी पत्नी कालूराम जाति अहीर निवासी बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर को उक्त प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में अप्रार्थी संख्या-15 प्रतिस्थापित किया जाता है। वास्ते पेश होने संशोधित शीर्षक प्रा. पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा व पेश होने सम्मन तलबाना बाबत तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक मय लिफाफे पत्रावली दिनांक 05.03.2025 को पेश हो।



(अनिल कुमार)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

श्रीमाधोपुर (सीकर) (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

27.02.2025

वकील प्रार्थी ने उपस्थित होकर एक

प्रार्थना पत्र मिसल तलबी का पेश करने पर पत्रावली आगामी तारीख पेशी 05.03.2025 से पूर्व तलब होकर आज पेश हुई। जिस पर उपस्थित वकील अप्रार्थीगण ने प्रा. पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को विद्वा किए जाने में कोई आपत्ति नहीं होना प्रस्तुत प्रार्थना पत्र हस्ताक्षर अंकित करवाए गए। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र विद्वा करने



बाबत का पेश कर निवेदन किया है कि अब प्रार्थी प्रा. पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को चलाना नहीं चाहते हैं। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को खारिज करना चाहते हैं। जस पर वकील अप्रार्थीगण को सुचित किया जाकर सुना गया। वकील प्रार्थी के निवेदन व वकील अप्रार्थीगण की सहमति के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को विद्वा करने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



(अनिल कुमार)

सहायक कलक्टर (फारस्ट्रेट के) श्रीमाधोपुर (सीकर)
श्रीमाधोपुर (सीकर)